

कार्यालय नगर पालिका परिषद गुलावठी जनपद बुलन्दशहर

ई-निविदा सूचना (अतिअल्पकालीन)

पत्रांक : 875/न0पा0पोगु0/2020-21

दिनांक : 25 जनवरी 2021

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्न निर्माण/आपूर्ति कार्यों हेतु ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदाओं का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई-प्रियोरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाओं से सम्बन्धित सूचना जिले की वेबसाईट <http://www.bulandshahr.nic.in> तथा पालिका की वेबसाईट www.nppgulaothibsr.com पर भी देखी जा सकती हैं।

निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि एवं समय		28.01.2021 से 03.02.2021 अपराह्न 12.00 बजे तक				
निविदा खोलने की तिथि एवं समय		03.02.2021 अपराह्न 01.00 बजे				
क्र.सं.	विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र के मूल्य पर 18% G.S.T.	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	डॉ० भीमराव अम्बेडकर सार्वजनिक पुस्तकालय की छत पर रेन वाटर-हार्वेस्टिंग का कार्य व शौचालय का निर्माण कार्य।	525631	10500	1100	198	01 माह
2	मौहल्ला भीमनगर शिरोपरी जलाशय परिसर के अन्दर गीले कूड़े का खाद्य बनाने हेतु पैरापिट का कार्य एवं टीन शोड का कार्य व सूखे कूड़े को छांटने के लिये प्लेटफार्म निर्माण।	612754	12300	1200	216	01 माह
3	गुलावठी नगर में लगे हुए 50 नग हैण्डपम्पों से निकलने वाले पानी के जल संचय हेतु वाटर-हार्वेस्टिंग का कार्य।	766047	15300	1500	270	01 माह
4	जलाशय पुनर्विनिकरण हेतु गुलावठी देहात गाटा सं० 311 पोखर के तालाब की खुदाई व मेढबन्धी कर पिचिंग लगाने का कार्य।	1134454	22700	2300	414	02 माह
5	वार्ड सं० 13 में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गुलावठी के छत एवं हैण्डपम्पों से निकलने वाले जल के संचय हेतु वाटर-हार्वेस्टिंग का कार्य।	380070	7600	800	144	01 माह
6	नगर पालिका कम्पाउण्ड में सुलिस वाल्व का चैम्बर का निर्माण एवं सुलिस वाल्व की फिटिंग का कार्य।	429827	8600	900	162	01 माह
7	बरमदपुर फाटक के पास एम०आर०एफ सेन्टर के सामने गीले कूड़े के निस्तारण के लिये पैराफिट व टीन शोड का कार्य।	613686	12300	1200	216	01 माह
8	वार्ड सं० 01 भीमनगर टंकी के पास तालाब के मेढीकरण (ढाल) व पथ-प्रकाश व्यवस्था इत्यादि का कार्य।	3451676	69000	6900	1242	02 माह
9	वार्ड सं० 14 मौहल्ला श्यौदत्त में ठोस अपशिष्ट निस्तारण के लिये एम०आर०एफ सेन्टर का निर्माण कार्य।	2353292	47100	4700	846	02 माह
10	होली पार्क में जल-संचय हेतु वाटर-हार्वेस्टिंग एवं अन्य सौंदर्यकरण का कार्य।	576098	11500	1200	216	01 माह
11	कोविड-19 के दृष्टिगत सैनेटाइजिंग स्प्रे हेतु टर्बो स्प्रेयर मशीन की आपूर्ति।	336000	6700	700	126	01 माह

निविदाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु एवं शर्तें :-

- सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी।
- किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद गुलावठी के सक्षम अधिकारी में सुरक्षित होगा। निविदा शुल्क जी०एस०टी० की धनराशि सहित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुलावठी के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार की निविदा को अवैध माना जायेगा।

- 3 यदि, किसी कारणवश निविदा दिनांक निर्धारित तिथि को नहीं खोली जाएंगी तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जाएंगी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में निविदा न खोले जाने पर निविदा खोले जाने की अग्रिम सूचना नियमानुसार दे कर निविदा खोली
- 4 प्रत्येक निविदा के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/नकद कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुलावठी के पद नाम से बंधक होगी, की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 5 निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।
- 6 ई-टैण्डर हेतु एस0बी0आई0 गुलावठी में E.O. Nagar Palika Par. Gulaothi D.M. Distt. Bulandshahr के नाम से खुले पालिका के खाता सं0 11054228397 IFSC code SBIN0003641 में भी निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि जमा की जा सकती है जिसकी रसीद निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
- 7 निर्माण कार्य हेतु प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी0एस0टी0 पंजीकरण व श्रम विभाग के पंजीकरण की प्रतियाँ अपलोड करना अनिवार्य होगा। शासनादेश संख्या 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर 2018 के अनुसार तकनीकी तथा वित्तीय बिड्स खुलने के उपरान्त कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपरोक्त की मूल प्रतियाँ कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होंगी।
- 8 निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/09टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत धनराशि प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दरों पर 1.00 प्रतिशत धनराशि प्रति 1 प्रतिशत निम्न दर पर परफॉरमेंस गारन्टी के रूप में अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबंध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 9 शासनादेश संख्या 3890/नौ-5-19-149सा/2019 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 20 सितम्बर 2019 के अनुपालन में न्यूनतम निविदा प्राप्त होने पर सम्बन्धित निविदादाता से निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-बैंकिंग के माध्यम से जमा कराते हुए निविदादाता का पंजीकरण नगर पालिका परिषद गुलावठी में कर निविदा की शर्तों के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा कराते हुए नियमानुसार अनुबंध गठित किया जाएगा।
- 10 शासनादेश संख्या 0145/नौ-9-2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन कराये जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यदेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा करना होगा।
- 11 अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी टैण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 12 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के आधार पर परिवहन किये जायें, बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुणा) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।
- 13 शासनादेश संख्या 24वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 24 अगस्त 2017 के अनुपालन में योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित कॉन्ट्रैक्टर की होगी। परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफॉरमेंस गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जाएगी।
- 14 ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतियाँ देय होगी।
- 15 निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार, बुलन्दशहर होगा।
- 16 प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का ठेकेदार भली-भांति निरीक्षण अवश्य कर लें।
- 17 शासनादेश संख्या 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 18 अनुबंध हेतु स्टॉम्प द्वितीय द्वारा अपने खर्च पर खरीदना होगा। स्टॉम्प शुल्क की धनराशि में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे कराने की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। निर्धारित धनराशि के जनरल स्टॉम्प पर क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
- 19 स्वच्छ भारत मिशन के तहत यथासम्भव सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा नगर पालिका परिषद गुलावठी के सी0 एण्ड डी0 सेक्टर से निकलने वाले सी0 एण्ड डी0 वेस्ट को निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाएगा।
- 20 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि से अतिरिक्त का भुगतान पालिका निधि/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किया जाएगा।
- 21 केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेशों एवं उच्चधिकारियों तथा नगर पालिका के आदेशों का अनुपालन सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को करना होगा।
- 22 कार्य करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर पालिका की कोई जिम्मेदारी होगी और न ही पालिका किसी प्रकार की क्षति पूर्ति हेतु बाध्य होगी।

23 निविदा के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत सूचना एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में न0पा0प0गुलावठी के सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।

(मुक्ता सिंह)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद गुलावठी
जनपद बुलन्दशहर

(काले खां कुरैशी)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद गुलावठी
जनपद बुलन्दशहर

प्रतिलिपि :-

- 1 जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 प्रभारी अधिकारी महोदय, स्थानीय निकाय, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 जिला सूचना राष्ट्रीय इन्फारमेशन केन्द्र, बुलन्दशहर को पत्र के साथ उक्त निविदा की सी0डी0 की एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इन निविदाओं को जिला बुलन्दशहर की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 4 उपजिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5 श्री निक्कू शर्मा, कम्प्यूटर ऑपरेटर को ई-टैण्डरिंग तथा पालिका की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 नगर पालिका परिषद, गुलावठी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद गुलावठी
जनपद बुलन्दशहर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद गुलावठी
जनपद बुलन्दशहर